Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

Online:- 2024/304

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

ीर तेजा गौशाला समिति कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जरिये अध्यक्ष भगवानाराम त्र मोटाराम वगैरह जाति जाट निवासी कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला ीकानेर बनाम फरसाराम वगैरह

ाजस्व वाद मुकदमा नम्बर 143/2024 U/S 88,188RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23.07.2024	आज यह वाद वीर तेजा गौशाला समिति कल्याणसर पुराना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जरिये अध्यक्ष भगवानाराम वगैरह ने जरिये श्री ओमप्रकाश पंवार अधिवक्ता मार्फत पेश किया। वादी को 80(2) सीपीसी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वाद दर्ज रजिस्टर हों। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 28.08.2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
28.8.24	पत्रावली पेश हुई। ..... वकील फरीकेन उपस्थित। तलवा ..... समय लिया। तलवा 17.9.2024 को पेश हो।	
29.8.2024	आज यह पत्रावली उभय पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश करने पर पेश में लाई गई। वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित एवं गौण प्रतिवादी नं. 3 स्वयं उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के जरिये राजीनामा के अनुसार वाद के निस्तारण हेतु निवेदन किया गया। लिहाजा वादीगण एवं प्रतिवादी के जरिये राजीनामा से वाद के निस्तारण हेतु अपनी सहमति प्रदान किये जाने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के जरिये राजीनामा अनुसार वाद के निस्तारण की अनुमति प्रदान की जाकर वादीगण का वाद [illegible] खारिज किया जाता। [illegible] पूर्ति वाजिब नहीं [illegible] समाप्त हो। (ओम मित्तल) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)	भगवानाराम मोटाराम फरसाराम नीरागढ़ Adv. बाबूलाल पूनिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 15:45:11 IST
Reason: SelfAttested